



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220698
CG-DL-E-27072020-220698

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2154]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/श्रावण 5, 1942

No. 2154]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

का.आ. 2441(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग, अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 671 (अ), तारीख 05.03.2014 एवं का.आ. 2789 (अ), तारीख 29.10.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय मार्ग सं0-730 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, समय समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 3 के साथ गठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहण, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-730 के डिजाइन चैनेज एवं विद्यमान चैनेज किमी0 505.000 से 538.000 किमी0 तक के खण्ड के उपयोग लिये पेब्ड शोल्डर सहित दो लेन के खण्ड के लिए नीचे की सारणी-1 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 33.00 किमी0 के हेतु सारणी-1 के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसके पश्चात् “आधार दर” कहा गया है) के 60% की दर पर शुल्क उद्धृति करती है एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों माध्यम से अथवा संविदाकार माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए शुल्क की प्रति कि.मी. आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो एक्सल वाले)	2.20
तीन एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण सामग्री (एचसीएम) या अथवा मिट्टी खोदने के कारण (ईएमई) अथवा मल्टी एक्सल यान (एमवी) (चार से छह एक्सल वाले)	3.45
बड़े आकार वाले यान (सात से अधिक एक्सल वाले)	4.20

1. इसके अधीन उदग्रहीत तथा संग्रहीत फी देय और ऐसे टोल प्लाजा के निर्दिष्ट सड़क सड़क के नैट लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर भुगतान योग्य होगा:

सारणी-2		
टोल प्लाजा की अवस्थिति (लोकेशन) (चैनैज)	लम्बाई किमी० में जिसके लिये फीस संदेय है	दर जिस पर फीस देय है
राष्ट्रीय मार्ग सं०-730 की डिजाइन चैनैज किमी० 515.200 (विद्यमान चैनैज किमी० 515.200) महाराजगंज जिले में सेमराराजा ग्राम के निकट।	कुल लम्बाई 33.00 किमी०	ऊपर सारणी-1 में अंकित आधार दर का 60 प्रतिशत

2. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये पंजीकृत यान्त्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 कि०मी० की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिये मासिक पास की दर वर्ष 2019-20 के लिये दर 265.00 (रुपये दो सौ पैंसठह मात्र) है जो राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अधीन है।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहु-यात्रा (मल्टीपल जर्नी) के लिये पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जायेंगे अर्थात्:-

सारणी-3		
भुगतान राशि	अनुमत एक मार्गीय (वन वे) यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एक मार्गीय यात्रा (वन वे जर्नी) के लिये शुल्क का डेढ़गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घण्टे
पचास एकल यात्राओं (सिंगल जर्नी) के लिये संदेय फीस की दो-तिहाई राशि	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50 प्रतिशत होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए पथकर संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहन के लिए निर्धारित शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2018 के नियम 10(1) (क) के अनुसार देने के लिए बाध्य होंगे और यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हाटए बगैर वे राजमार्ग खंड के उपयोग के लिए योग्य नहीं होगा।
6. सभी परिभाषाएं यांत्रिक वाहन की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होगी।
7. फीस की दरें कथित नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होगी।
8. आधार वर्ष 2007-08 के लिए शुल्क की आधार दर उल्लिखित तालिका-1 पर आधारित है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रभारित किया जाने वाला वास्तविक मूल्य एवं छूट परिकलित की जाएगी तथा उक्त नियमावली के नियम -4 के अनुसार उसमें वार्षिक संशोधन किया जाएगा और तदनुसार इसे अंग्रेजी या स्थानीय भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
9. परियोजना की प्रकलित पूंजीगत लागत 221.30 करोड़ है (परियोजना की अंतिम पूंजीगत लागत भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटीशिफ्टिंग, पेड कटान आदि के सापेक्ष बाद में प्रेशित किया जायेगा)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपभोगकर्ताओं से उद्ग्रहीत फीस के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाई गई फीस की दरों को घटा कर 40 प्रतिशत कर दिया जायेगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक रूप से संशोधन किया जायेगा।

[फा. सं. एन.एच.-12014/15/2014/यू.पी./एन.एच.-III/(जोन-1)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

S.O. 2441(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No.671 (E) dated 5th March, 2014 and S.O. No.2789 (E) dated 29th October, 2014, issued under section-5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from km 505.000 to km 538.000 of National Highway No.730 in the State of Uttar Pradesh to the State Government of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “Rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 33.00 km (at sixty percent of the base rate) for use of the Two Lane with paved shoulders section from existing as well as design chainage Km.505.000 to Km 538.000 on National Highway No.-730 in the state of Uttar Pradesh on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee namely:-

TABLE-1	
Type of Vehicle	Base rate of Fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial vehicle	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Four Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The Fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plazas for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (Chainages)	Length for which Fee is payable (in Km.)	Rate at which the fee is payable
At Km. 515.200 (Existing/ Design chainage Km. 515.200) of NH-730 near village Semraraja in Mahrajganj Distt in the State of Uttar Pradesh	33.00	60% for two lane with paved shoulder of the base rate mentioned in Table-1 above.

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for noncommercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 265.000 (Rupees Two Hundred sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of said Rules.

3. For multiple journeys on the Highway section, passes shall be issued at the following rates namely:-

TABLE-3		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial (excluding vehicles plying under National Highways permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no services road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rules 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicle and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated Capital Cost of the Project is Rupees 221.30 Cr. (The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately) National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost; the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NH-12014/15/2014/UP/NH-II (Zone-I)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.